07/09/15

बहसुलाम अहमद खाँ व अन्य अपीलार्थी ने जवाब नहीं दिये जाने का निवेदन किया अतः उक्त अपील नं. 1 को खारिज किया जाता है। बहस बहसुलाम अहमद सुनी गई।

अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी ख.नं. 99 रकबा 0.87 है. वाके ग्राम हीरवाड़ा पं.नि. बाजनवाड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद में अपील नं. 1 की खातेदारी में 4/4 हक हिस्सा है उक्त भूमि पेचक है जिसमें से प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा है जिसके लिए उदयलाल का दावा अलग से विचारणीय है इस प्रकार प्रस्तुत मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है इस अपीलार्थी के पास नहीं दिये जाने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। इसके विपरीत अपील नं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी अपील नं. 1 की खातेदारी भूमि है जिसके लिए अपीलार्थी के प्रार्थीगण पाबन्द करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए अपील खारिज फरमाया जावे।

हमने बहसुलाम की बहस पर मनन किया इस पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ख.नं. 99 रकबा 0.87 है. वाके ग्राम हीरवाड़ा पं.नि. बाजनवाड़ा तहसील देवगढ़ में अपील नं. 1 का 1/4 हिस्सा है इस उक्त भूमि पेचक है जिसमें से प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा है उदयलाल के हक हिस्सेदारी कुर्बा है पेचक भूमि को बिना सहमति अन्य हिस्से के अधिक बेचान कानूनन नहीं कर सकते है। इस प्रकार प्रस्तुत मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण नहीं होगा अपील नं. 1 के कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जाता है। अतः अपीलीय आदेश की होगी।

दावा अपीलार्थी निर्धारण के समक्ष किया
जाता है कि विवादित अवधि ए.वाई. 91
मूल्य 0.89 है, अतः कम होने आधार
पर राजस्व बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स
जिला पीजी की रिट 454 की उपरांत
की यथार्थिक तौर (LA) निर्धारण
बाद कमीशन अपीलार्थी मूल दावा
मान लिया रहा। निर्णय सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़